प्रिंट

न्यायालय- उपजिलाधिकारी

जनपद - बुलन्द शहर, तहसील - शिकारपुर

कंप्यूटरीकृत संख्या :- T802024020884

आवेदक का नाम :- RISHABH SHARMA

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 12/07/2024

आदेश

निर्णय

प्रस्तुत वाद आवेदक ऋषभ शर्मा पुत्र श्री सुनील शर्मा निवासी ग्राम सहार परगना पहासू तहसील शिकारपुर जिला बुलन्दशहर के द्वारा किये गये आनलाईन आवेदन प्रार्थना पत्र दिनांक 31.5.2024 के आधार पर संस्थित हुआ। प्रार्थी के द्वारा ग्राम सहार परगना पहासू तहसील शिकारपुर जिला बुलन्दशहर स्थित खाता संख्या 472 के गाटा संख्या 89/2 रकवा 0.5257, गाटा संख्या 89/3 रकवा 0.5256 एवं गाटा संख्या 87/1 रकवा 0.6355 है0 भूमि को कृषक से अकृषक भूमि घोषित करते हुए, लगान से मुक्त करने हेतु आनलाईन आवेदन किया गया है।

अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय के आर0सी0सी0एम0एस0 पोर्टल पर आनलाईन प्राप्त होने के उपरान्त उक्त आनलाईन आवेदन प्रार्थना पत्र जांच हेतु तहसीलदार शिकारपुर के न्यायालय के आर0सी0सी0एम0एस0 पोर्टल पर आनलाईन भेजा गया, जिसके अन्तर्गत तहसीलदार शिकारपुर की आख्या दिनांक 12.6.2024 व संहिता की धारा 80 एवं नियमावली के नियम 85 के तहत अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय के आर0सी0सी0एम0एस0 पोर्टल पर दिनांक 12.6.2024 को प्राप्त हुई। आनलाईन जांच आख्या में तहसीलदार शिकारपुर ने उल्लेख किया है कि ग्राम सहार परगना पहासू तहसील शिकारपुर जिला बुलन्दशहर क गाटा संख्या 89/2 रकवा 0.5257 है0 व गाटा संख्या 89/3 रकवा 0.5256है0 व गाटा संख्या 87/1 रकवा 0.6355 है0 कुल रकवा 1.6848 है0 में मै0 जेव एक्सलेरेट एनर्जी प्राईवेज लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर ऋषभ शर्मा पुत्र सुनील शर्मा व दिव्यांश गोविल पुत्र राजीव गोविल नि0 ए 42 बी शताब्दी नगर अलीगढ के नाम सं0भू0 दर्ज है। उक्त भूमि कुटकुट पालन, मतस्य पालन, वृक्षारोपण, वागवानी आदि का कार्य नही हो रहा है। उक्त को अकृषिक भूमि घोषित करने हुए आंख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

तहसीलदार शिकारपुर के द्वारा अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय के आर0सी0सी0एम0एस0 पोर्टल पर उपलब्ध करायी गई आनलाईन जांच आख्या का परिशीलन किया गया, जिसके उपरान्त आवेदक को प्रस्तावित गाटे को अकृषिक कराये जाने के हेतु निर्धारित शुल्क सर्किल रेट का एक प्रतिशत अंकन 90,979 रूपये एवं न्यायालय शुल्क 50 रूपये कुल 91,029 रूपये जमा करने हेतु नोटिस प्रेषित करते हुए, तहसील स्तरीय जांच के आधार पर निर्देशित किया गया कि उपरोक्त गाटे का उपयोग आपके द्वारा आवासीय/वाणिज्यिक/औद्योगिक प्रयोजन हेतु किया जा रहा है। अतः गाटे का धारा 80(1) अन्तर्गत गैर-कृषिक किये जाने के लिए निर्धारित शुल्क नोटिस के प्राप्त होने के सात कार्य दिवस के अन्दर आनलाईन भुगतान कर दें ताकि तदनुसार आपके आनलाईन आवेदन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा सके।

तहसीलदार शिकारपुर की आंख्या दिनाॅंक 11.6.2024 एवं तहसीलदार शिकारपुर द्वारा आनलाईन पोर्टल पर प्रेषित आंख्या दिनाॅंक 12.6.2024 जिसके क्रम में प्रार्थी/आवेदक को कुल धनराशि 91,029 रूपये द्वारा दिनाॅंक 11.7.2024 को आनलाईन बैक रिफरेन्स संख्या पी 193240335168677 चालान संख्या पी 193240335168677 में जमा कर दी गयी।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार शिकारपुर की आंख्या दिनाॅंक 11.6.2024 एवं तहसीलदार शिकारपुर द्वारा आनलाईन पोर्टल पर प्रेषित आंख्या दिनाॅंक 12.6.2024 का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जांच आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ऋषभ शर्मा पुत्र श्री सुनील शर्मा निवासी ग्राम सहार परगना पहासू तहसील शिकारपुर जिला बुलन्दशहर ग्राम सहार परगना पहासू तहसील शिकारपुर जिला बुलन्दशहर के गाटा संख्या 89/2 रकवा 0.5257 है0 व गाटा संख्या 89/3 रकवा 0.5256है0 व गाटा संख्या 87/1 रकव 0.6355 है0 कुल रकवा 1.6848 है0 पर संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार है। आवेदक के द्वारा ग्राम सहार परगना पहासू तहसील शिकारपुर जिला बुलन्दशहर की वर्तमान खतौनी फसली वर्ष 1426-1431 के खाता संख्या 472 के गाटा संख्या 89/2 रकवा 0.5257, गाटा संख्या 89/3 रकवा 0.5256 एवं गाटा संख्या 87/1 रकवा 0.6355 है0 भूमि को अकृषिक कराये जाने के सम्बन्ध में आनलाईन आवेदन किया गया है। उक्त भूमि का वर्तमान सर्किल रेट 54,00000 के अनुसार आवेदक द्वारा अकृषिक कराये जाने वाली प्रस्तावित कृषि भूमि रकबा 1.6848 हैक्टे0 को धारा 80(1) अन्तर्गत गैर-कृषिक किये के सम्बन्ध में निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार मालियत 90,97,920 रूपये का 01 प्रतिशत धनराशि अंकन 90,979 रूपये एवं न्यायालय शुल्क 50 रूपये अर्थात कुल धनराशि 91,029/- रूपये की धनराशि आनलाईन बैक रिफरेन्स संख्या पी 193240335168677 चालान संख्या पी 193240335168677 में दिनाँक 11-7-2024 को जमा कर दी गयी। आवेदक के द्वारा जमा करायी गई आनलाईन आवेदक द्वारा शुल्क भुगतान की प्रति आनलाईन आर0सी0सी0एम0एस0 पोर्टल से प्राप्त हुई। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा प्रस्तावित गाटे को अकृषिक घोषित कराये जाने हेतु निर्धारित धनराशि का भुगतान किया है। तहसीलदार शिकारपुर की आंख्या दिनाॅंक 11.6.2024 एवं तहसीलदार शिकारपुर द्वारा आनलाईन पोर्टल पर प्रेषित आंख्या दिनाॅंक 12.6.2024 के द्वारा वादग्रस्त भूमि को अकृषक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आनलाईन आर0सी0सी0एम0एस0

पोर्टल पर उपलब्ध करायी गई है। उक्त के आधार पर ग्राम सहार परगना पहासू तहसील शिकारपुर जिला बुलन्दशहर की वर्तमान खतौनी फसली वर्ष 1426-1431 के खाता संख्या 472 के गाटा संख्या 89/2 रकवा 0.5257, गाटा संख्या 89/3 रकवा 0.5256 एवं गाटा संख्या 87/1 रकवा 0.6355 है0 भूमि को अकृषिक भूमि घोषित करते हुए, लगान से मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उक्त विवेचना एवं पत्रावली पर उपलव्ध तहसीलदार शिकारपुर की आंख्या दिनाॅंक 11.6.2024 एवं तहसीलदार शिकारपुर द्वारा आनलाईन पोर्टल पर प्रेषित आंख्या दिनाॅंक 12.6.2024 के आधार पर आवेदक ऋषभ शर्मा पुत्र श्री सुनील शर्मा निवासी ग्राम सहार परगना पहासू तहसील शिकारपुर जिला बुलन्दशहर की भूमि स्थित ग्राम सहार परगना पहासू तहसील शिकारपुर जिला बुलन्दशहर की वर्तमान खतौनी फसली वर्ष 1426-1431 के खाता संख्या 472 के गाटा संख्या 89/2 रकवा 0.5257, गाटा संख्या 89/3 रकवा 0.5256 एवं गाटा संख्या 87/1 रकवा 0.6355 है0 भूमि को उ0प्र0रा0संहिता 2006 की धारा 80(1) के द्वितीय परन्तुक में दी गयी शर्त के अधीन अकृषक भूमि घोषित करते हुए, लगान से मुक्त किया जाता है। प्रश्नगत भूमि पर निर्माण कार्य करने के लिए विधिवत मानचित्र पास कराये जाने के उपरान्त ही निर्माण कार्य किया जा सकेगा। सक्षम प्राधिकारी (प्राधिकरण/जिला पंचायत/लोक निर्माण विभाग आदि) आदि मानचित्र पास किये बिना/अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये बिना यदि कोई निर्माण कार्य किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी अपनी ओर से विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतन्त्र होगा। आदेश की प्रति तहसीलदार शिकारपुर को राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज कराने हेतु व उप निबन्धक शिकारपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। तहसीलदार शिकारपुर की आंख्या दिनाॅंक 11.6.2024 एवं तहसीलदार शिकारपुर द्वारा आनलाईन पोर्टल पर प्रेषित आंख्या दिनाॅंक 12.6.2024 आदेश का अंग रहेगी। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनाॅंक 12.7.2024

(प्रियंका कुमारी)
उप जिलाधिकारी
शिकारपुर।

Digitally Signed by:
PRIYANKA KUMARI
उपजिलाधिकारी
दिनांक समय: 12-07-2024 08:34:36 PM